राजस्थान–सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांकः 30.11.2016

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि :–

1. कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में इस अधिसूचना की दिनांक तक दर्ज एवं विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में पक्षकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा कराने पर उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में निम्नानुसार रियायत देय होगी :–

   (i) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.12.2016 से 31.01.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।

   (ii) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.02.2017 से 28.02.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 75 प्रतिशत रियायत देय होगी।

2. कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस अधिसूचना की दिनांक तक निर्णीत मुद्रांक प्रकरणों में निर्णय के फलस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में निम्नानुसार रियायत देय होगी:–

   (i) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.12.2016 से 31.01.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।

   (ii) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.02.2017 से 28.02.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 75 प्रतिशत रियायत देय होगी।

3. राजस्थान कर बोर्ड/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में यदि पक्षकार द्वारा प्रकरण प्रत्याहरित (Withdraw) कर स्टाम्प डयूटी पेटे देय राशि जमा करवाई जाती है तथा प्रत्याहरित (Withdraw) करने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में निम्नानुसार रियायत देय होगी:–

   (i) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.12.2016 से 31.01.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।

   (ii) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.02.2017 से 28.02.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 75 प्रतिशत रियायत देय होगी।

4. इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से पूर्व कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्णीत प्रकरणों में यदि पक्षकार द्वारा इस अधिसूचना की दिनांक से पूर्व स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय सम्पूर्ण राशि जमा कराई जा चुकी है एवं ब्याज एवं शास्ति की राशि की 20 प्रतिशत राशि दिनांक 01.12.2016 से 28.2.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो शेष 80 प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति की राशि की रियायत देय होगी।

5. राजस्थान कर बोर्ड/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में विचाराधीन जिन प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय सम्पूर्ण राशि अधिसूचना की दिनांक से पूर्व जमा कराई जा चुकी है, उनमें पक्षकार द्वारा प्रकरण प्रत्याहरित (Withdraw) करने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तथा देय ब्याज एवं शास्ति की राशि की 20 प्रतिशत राशि दिनांक 01.12.2016 से 28.2.2017 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो शेष 80 प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति की राशि की रियायत देय होगी।

6. राजस्थान कर बोर्ड में निगरानी दायर करने हेतु राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 के परन्तुक के तहत जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि को स्टाम्प डयूटी पेटे समायोजित किया जायेगा।

उक्त प्रकार के किसी भी प्रकरण में पूर्व में अदा किये जा चुके स्टाम्प शुल्क व अन्य राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं होगा।

(सं.प.2(6)वित्त/कर/2014–64)
राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव